ज्ञापांक – 7/ [illegible] (विविध) 21 (क)/14-214(7)/रा० दिनांक-25.2.16

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

व्यास जी, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–15.01.2016 को प्रमंडल स्तर पर जिला परिषद्, मुंगेर के सभागार में राजस्व के संबंध में हुए बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–यथा उपस्थिति पंजी।

सर्वप्रथम आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर ने बैठक में उपस्थित प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना, सभी राज्य स्तरीय पदाधिकारी, सभी जिला पदाधिकारी एवं उपस्थित अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया। उन्होनें सूचित किया किया कि सभी सम्बन्धित पदाधिकारी बैठक में उपस्थित है। उनके द्वारा बैठक की महत्ता पर बल देते हुए कहा गया कि राजस्व के मामले का ससमय निष्पादन नहीं होने के कारण आम जनता में प्रशासन के प्रति अविष्वास पैदा होता है एवं विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

तत्पश्चात् प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बताया गया कि अंचल अधिकारी की राजस्व कार्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर उन्हें कानून की जानकारी नहीं होगी तो कार्यों के निष्पादन में कठिनाई होगी और गलत निर्णय ले लिया जाएगा। कुछ ऐसे भी पदाधिकारी होते हैं जो कार्य करने में कोताही बरतते हैं, वैसे पदाधिकारी के विरुद्ध अगर संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/आयुक्त प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा बताया गया कि बहुत–से अंचल अधिकारी नये हैं क्योंकि बहुत–से पुराने अंचल अधिकारी का स्थानांतरण हो गया है। अंचल निरीक्षक को प्रोन्नति देकर राजस्व अधिकारी बना दिया गया है ताकि वे लोग ऊर्जान्वित होकर कार्य करें। उन्होंने बताया कि जिन अंचल अधिकारियों का प्रशिक्षण नहीं हुआ है, उसे 01 फरवरी, 2016 से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा ताकि राजस्व का काम सुचारू रूप से चल सके। उनके द्वारा बताया गया कि जो नये पदाधिकारी आये हैं, उन्हें वरीय पदाधिकारी का फोन आने पर किस तरह का व्यवहार करना है, इस पर क्या दायित्व निभाना है, इस पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया गया।

तत्पश्चात् बिन्दुवार समीक्षा प्रारंभ की गयी :–

1. **ऑपरेशन भूमि दखल देहानी :–** ऑपरेशन भूमि दखल देहानी की नियमावली की जानकारी के संबंध में मुंगेर जिला के किसी एक अंचल अधिकारी से जानने की बात बताने को कहा गया। जिस पर अंचल अधिकारी, बरियारपुर ने बताया। प्रधान सचिव ने कहा कि बेदखली को दखल दिलाने के लिए शिविर लगाना अत्यावश्यक है। इसके लिए सभी अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि इसके लिए प्रचार–प्रसार करके शिविर लगाएं। शिविर की तारीख जिला पदाधिकारी द्वारा तय किया जायेगा। इस संबंध में सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि एक भी बेदखली का मामला प्रतिवेदित नहीं होना चाहिए। बेदखली के मामले में यदि पुलिस बल की आवश्यकता ~~होगी तो~~ उसकी ~~भी~~ मदद ली जायेगी ~~और उन्हें~~ कब्जा ~~दिलवायेंगे।~~ शिविर ~~में अंचल~~ अधिकारी को तो रहना ही है, साथ ही अपर समाहर्त्ता,अनुमंडल पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता भी

इसका पर्यवेक्षण करें, प्रधान सचिव ने मुंगेर जिले के अंचल अधिकारी खड़गपुर से पूछा कि जनवरी माह में कितने कैम्प किये हैं, वे कुछ भी बता नहीं पायें। इस पर प्रधान सचिव ने जिला पदाधिकारी को निदेश दिया कि यदि आप इनके विरुद्ध प्रतिवेदन भेजते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रधान सचिव ने कहा कि दखल देहानी के प्रचार–प्रसार हेतु हर अंचल अधिकारी को 10,000रु का आवंटन दिया गया है ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो सके। **उन्होंने शिविर में बैनर लगाने का भी निदेश दिया। सभी जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि कैम्प में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को भी अवश्य भेजें। प्रधान सचिव द्वारा आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से भी इसकी समीक्षा करें। प्रधान सचिव द्वारा बेगूसराय जिले के अंचल अधिकारी, बखरी से कैम्प के बारे में पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं देने पर जिला पदाधिकारी को शिविर की समीक्षा करने का निदेश दिया गया।** प्रधान सचिव ने शेखपुरा जिले के समीक्षा के क्रम में कहा कि शेखपुरा में शिविर नहीं हुआ है।

प्रधान सचिव द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से कैलेण्डर के माध्यम से शिविर का आयोजन करवाना सुनिश्चित करें। ऑपरेशन दखल देहानी के तहत जिला पदाधिकारी को कुछ बड़े लोगों पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया ताकि अवैध रूप से कब्जा करने वालों में भय का माहौल व्याप्त हो।

ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के अंतर्गत अपलोड किये गये प्रपत्र–1 की समीक्षा करते हुए विशेष सचिव–सह–निदेशक, भू–अर्जन ने बारी–बारी से सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों को निदेश दिया कि गैर मजरूआ मालिक, गैर मजरूआ आम, अधिशेष भूमि, बी0पी0पी0एच0टी0, क्रय नीति एवं भूदान के संबंध में जिलों के द्वारा प्रतिवेदित संख्या के अनुपात में अपलोड किये गये लाभान्वितों की संख्या जो दर्शायी गयी है, वह बहुत ही निराशजनक है। **प्रधान सचिव ने निदेश दिया कि 31 मार्च के पूर्व सभी पर्चाधारियों की सूची प्रपत्र–I में वेबसाइट पर अपलोड कर दें तथा समाहर्त्ता इस आशय का प्रमाण–पत्र भेजें कि अब पर्चाधारी शेष नहीं हैं।**

ऑपरेशन दखल देहानी के प्रपत्र–1 के तहत प्रमंडलाधीन सभी जिलों की अंचलवार समीक्षा की गई। गैर मजरूआ मालिक भूमि से आच्छादित पर्चाधारियों की संख्या बेगूसराय जिला के अंचल भगवानपुर, वीरपुर में शून्य है। जो काफी खेद का विषय है।

गैर मजरूआ आम भूमि से आच्छादित रैयतों की संख्या बेगूसराय जिला के अंचल बलिया, भगवानपुर, खुदाबंदपुर, मंसूरचक, मटिहानी, साम्हो, जमुई जिला के अंचल सोनो, झाझा, लक्ष्मीपुर, चकाई, खगड़िया जिला के अंचल गोगरी, चौथम, मानसी, लखीसराय जिला के अंचल बड़हिया, मुंगेर जिला अंचल मुंगेर सदर एवं बरियारपुर में शून्य है। जो काफी खेद का विषय है। **सभी संबंधित जिला पदाधिकारी को संबंधित अंचल अधिकारी के माध्यम से कार्य में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।**

अधिशेष भूमि से आच्छादित रैयतों की संख्या जमुई जिला के अंचल जमुई सदर एवं खैरा, मुंगेर जिला अंचल संग्रामपुर एवं टेटिया बम्बर, शेखपुरा जिला के अंचल घाट कुसुम्भा में शून्य है। जो काफी खेद का विषय

है। सभी संबंधित जिला पदाधिकारी को संबंधित अंचल अधिकारी के माध्यम से कार्य में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

क्रय नीति से आच्छादित रैयतों की संख्या बेगूसराय जिला के अंचल बलिया,बरौनी, छौड़ाही, खुदाबदपुर, साम्हो, तेघड़ा, जमुई जिला के अंचल गिद्धौर, अलीगंज, बरहट, सोनो, झाझा, लक्ष्मीपुर, चकाई, खगड़िया जिला के अंचल परबत्ता, मुंगेर जिला अंचल मुंगेर सदर, जमालपुर, बरियारपुर, धरहरा, तारापुर, असरगंज, संग्रामपुर, शेखपुरा जिला के अंचल शेखपुरा, अरियरी, घाट कुसुम्भा में शून्य है। जो काफी खेद का विषय है। **सभी संबंधित जिला पदाधिकारी को संबंधित अंचल अधिकारी के माध्यम से कार्य में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।**

भूदान से आच्छादित रैयतों की संख्या बेगूसराय जिला के अंचल बलिया, मंसूरचक, जमुई जिला के अंचल अलीगंज, शेखपुरा जिला के अंचल चेवाड़ा, घाट कुसुम्भा में शून्य है। जो काफी खेद का विषय है। **सभी संबंधित जिला पदाधिकारी को संबंधित अंचल अधिकारी के माध्यम से कार्य में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।**

ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी के अन्तर्गत बेगूसराय जिला में प्रपत्र–1 में संधारित चिह्नित पर्चाधारियों की कुल संख्या 43341 है तथा प्रपत्र–2 के अनुसार बेदखली की स्थिति 3974 तथा प्रपत्र–3 के अनुसार दखल दिलाने की स्थिति 1363 है। जो काफी असंतोषजनक है। जमुई जिला में प्रपत्र–1 के अनुसार पर्चाधारियों की कुल संख्या 27698 है तथा प्रपत्र–2 के अनुसार चिह्नित बेदखली की स्थिति 550 तथा प्रपत्र–3 के अनुसार दखल दिलाने की स्थिति 296 है। बेदखली के चिह्नित मामलों की संख्या असंतोषजनक है। खगड़िया जिला में प्रपत्र–1 के अनुसार चिह्नित पर्चाधारियों की संख्या 29641 है तथा प्रपत्र–2 के अनुसार चिह्नित बेदखली की स्थिति 1784 है और प्रपत्र–3 के अनुसार दखल दिलाने की स्थिति 1544 है। लखीसराय जिला में प्रपत्र–1 के अनुसार चिह्नित पर्चाधारियों की संख्या–13571 है, प्रपत्र–2 के अनुसार चिह्नित बेदखली की स्थिति 303 है प्रपत्र–3 के अनुसार दखल दिलाने की स्थिति 244 है। चिह्नित बेदखल परिवारों की संख्या चिंताजनक है। मुंगेर जिला में प्रपत्र–1 के अनुसार चिह्नित पर्चाधारियों की संख्या 21702 है प्रपत्र–2 के अनुसार चिह्नित बेदखली की स्थिति 1049 है तथा प्रपत्र–3 के अनुसार दखल दिलाने की स्थिति 975 है। चिह्नित बेदखल परिवारों की संख्या चिंताजनक है। शेखपुरा जिला में प्रपत्र–1 के अनुसार चिह्नित पर्चाधारियों की संख्या 5451 है प्रपत्र–2 के अनुसार चिह्नित बेदखली की स्थिति 24 है तथा प्रपत्र–3 के अनुसार दखल दिलाने की स्थिति 13 है। जो काफी चिंताजनक है। **सभी संबंधित जिला पदाधिकारी को ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के कार्यों में तेजी लाने का निदेश दिया गया।**

2. महादलित विकास योजना :– महादलित विकास योजना के अंतर्गत गैर मजरुआ मालिक, गैर मजरुआ आम, बी0पी0पी0एच0टी0, रैयत भूमि के क्रय माध्यम से लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि की समीक्षा करते हुए निदेशक, भू–अर्जन ने पाया कि गैर मजरूआ मालिक, गैर मजरूआ आम, बी0पी0पी0एच0टी0 एवं क्रय नीति में खगड़िया जिला का लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि में अंतर है, हालांकि उपलब्धि 100: है। उन्हें निदेश दिया गया कि वे कृपया इन ऑकड़ों का सत्यापन कर लेंगे। उसी प्रकार रैयती भूमि क्रय के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुंगेर जिला की उपलब्धि लक्ष्य के विरुद्ध कम है। जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा बतलाया गया कि क्रय नीति में 10 बाकी था जिसमें से 06 लाभान्वितों को भूमि क्रय कर उपलब्ध करा दी गई है तथा शेष 04 अन्यत्र पलायन कर गये हैं इस प्रकार मुंगेर जिला की भी उपलब्धि 100% हो गया है।

3. अभियान बसेरा :— अभियान बसेरा की समीक्षा के क्रम में निदेशक, भू-अर्जन ने कहा कि सभी जिलों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इस पर बारी-बारी से सभी जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि महादलित, अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति, पिछड़ा वर्ग-1 एवं वर्ग-2 के सर्वेक्षण में पाये गये वास विहिन परिवारों को शीघ्रातिशीघ्र नियमानुसार 05डिसमिल भूमि उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन भेजेंगे। निदेशक, भू-अर्जन ने बताया कि वास भूमि किसी की पहचान से जुड़ी है। हमारे यहाँ 2010 से महादलित विकास योजना के अंतर्गत वास भूमि उपलब्ध कराने का क्रम जारी है अब इसे विस्तारित कर वास विहिन पिछडी जाति को भी भूमि देने की योजना है। प्रधान सचिव ने बैठक में उपस्थित अंचल अधिकारी से अभियान वसेरा की नियमावली के बारे में पूछा। बैठक में उपस्थित अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि पहले 03 डिसमिल था अब 05 डिसमिल कर दिया गया है। **अभियान बसेरा के तहत शिविर लगाकर चिह्नित करने का निदेश दिया गया।** अभियान बसेरा के तहत दो प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एवं दूसरा शहरी क्षेत्रों के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में 05 डिसमिल भूमि का प्रावधान है। प्रधान सचिव ने बताया कि वर्ष-2010 में महादलित परिवारों के लिए भूमि की क्रय नीति बनी थी और 2011 में गृह स्थल योजना बनी थी। 2010-11 अनुसूचित जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के लिए यह नीति बनी थी जिसमें 03 डिसमिल जमीन देने का प्रावधान था। बाद में सरकार ने इसे 05 डिसमिल कर दिया। क्रय नीति के तहत पहले 20,000रु0 की राशि तय थी जिसे अब MVR के दर पर क्रय करने का निदेश दिया गया है। **चयन किये गये भूमि की जाँच भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा की जाती है।** प्रधान सचिव ने बताया कि दिनांक- 29.01.16 को राज्य स्तर पर अपर समाहर्त्ता की बैठक है। **इस बैठक से पूर्व सभी जिला पदाधिकारी को अपने स्तर से समीक्षा करने का निदेश दिया गया।** अंचल अधिकारी, लखीसराय ने बताया कि कुछ जमीन पर इंदिरा आवास बन गया है, कुछ जमीन पर महादलित विद्यालय बन गया है। वे लोग दूसरे जगह बसने को तैयार नहीं है। इस पर प्रधान सचिव ने बताया कि पैसे एवं योजनाओं की कमी नहीं है जो वहाँ से नहीं जाना चाहते हैं, वहाँ पर बुजुर्ग को आवंटित कर दें और व्यस्क को किसी दूसरे स्थान पर बसा दें। प्रधान सचिव ने बताया कि यदि एकल महिला का प्रस्ताव आता है तो उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

अभियान बसेरा के तहत बेगूसराय जिला में कुल-4966 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया जिसमें 1141 परिवारों को भूमि वितरित किया गया। जमुई जिला में कुल-979 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया जिसमें 484 परिवारों को भूमि वितरित किया गया। खगड़िया जिला में कुल-2238 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया जिसमें 936 परिवारों को भूमि वितरित किया गया। लखीसराय जिला में कुल-1485 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 1063 परिवारों को भूमि वितरित किया गया। मुंगेर जिला में कुल-1473 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया जिसमें 240 परिवारों को भूमि वितरित किया गया। शेखपुरा जिला में कुल-1078 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया जिसमें 448 परिवारों को भूमि वितरित किया गया। इस प्रकार जमुई, शेखपुरा, लखीसराय एवं खगड़िया का ~~प्रर्दशन अच्छा है~~ तथा ~~मुंगेर~~ एवं बेगूसराय की ~~स्थिति काफी खराब है तथा इसमें~~ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। **जिला पदाधिकारी, मुंगेर एवं बेगूसराय को प्रगति लाने का निदेश दिया गया।**

जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उसे 05(पाँच) डिसमिल जमीन देना है और अभी भी बहुत से लोग बेघर हैं। जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है तो उसका सम्मान नहीं होता है क्योंकि मनुष्य की पहचान जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। दिये गये जमीन पर लीज योजना के तहत सड़क भी बनवायेंगे।

4. गृह स्थल योजना, 2011 के अंतर्गत आबंटन :– अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य सुयोग्य श्रेणियों के परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु भूमि क्रय करने के लिए राशि की आवश्यकता के अनुसार माँग पत्र भेजने को कहा गया था। परंतु, खगड़िया जिला को छोड़कर किसी भी जिला से राशि की माँग नहीं की गई। समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव ने बताया कि वर्ष 2010 में यह योजना महादलित परिवारों के लिए बनी थी, परंतु वर्ष 2011 में इसे सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों को गृह स्थल देने का प्रावधान कर दिया गया था। इसमें जहाँ कहीं भी जमीन देने की या खरीदने की बात करते हैं तो उसके पूर्व लाभांवित होनेवाले रैयतों की सहमति भी आवष्यक है। आबंटन की माँग नहीं करना इस बात का परिचायक है कि इस प्रमंडल में इस योजना में रुचि नहीं ली जा रही है। सभी जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन व्यक्तियों को क्रय कर जमीन देना है उसके लिए कितनी आबंटन की आवश्यकता होगी का आकलन कर आवंटन के लिए माँग पत्र यथाशीघ्र भेजेंगे। **प्रधान सचिव ने कहा कि शिविर में जो पर्चा दिये जाते हैं, उसी समय दाखिल खारिज कर दें, शुद्धि पत्र निर्गत कर दें ताकि लोगों को बार–बार आना–जाना नहीं पड़े। जमीन की नापी कराकर चौहद्दी अंकित कर दें। निदेशक, भू–अर्जन ने बताया कि जो लोग सड़क के किनारे बसे हैं, उस जमीन का पर्चा देने से पहले भविष्य में सड़क की महत्ता को ध्यान रखकर ही दें। निदेशक, भू–अर्जन ने सभी अंचलाधिकारी को कहा कि उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि हमलोगों ने 05 कैटेगरी(महादलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग) क्यों बनाया है? क्योंकि अलग–अलग कैटेगरी के लिए अलग–अलग राशि का प्रावधान है तथा अलग–अलग शीर्ष से राशि प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत इस प्रमंडल में किसी भी जिला द्वारा राशि की माँग नहीं की गई है।**

5. शहरी क्षेत्रों में अनु0जाति/जनजाति के परिवारों के लिए वास भूमि नीति, 2014:– निदेशक, भू–अर्जन ने समीक्षा के क्रम में पाया कि शहरी क्षेत्रों में वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु मात्र 03 जिला यथा–लखीसराय, मुंगेर एवं जमुई द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। शेष जिलों में यह कार्य अब तक प्रारंभ भी नहीं किया गया है। जिला पदाधिकारी एवं उन जिलों के अनुमंडल पदाधिकारियों, राजस्व पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सर्वेक्षण का काम यथाशीघ्र पूर्ण कर स्थिति से अवगत करायें, ताकि इस योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई की जा सके। **प्रधान सचिव ने निदेश दिया कि जो महादलित विकास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में एक परिवार हेतु 30 वर्ग मीटर तक उपयुक्त सरकारी जमीन को चिह्नित किया जा सकता है। यदि शहरी क्षेत्र में जमीन नहीं उपलब्ध हो तो निकट के ग्राम पंचायत में जमीन उपलब्ध करा दें।**

6. (क) दाखिल–खारिज (RTPS) :– आर0टी0पी0एस0, दाखिल–खारिज की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मतअपबम कमदपस में मुंगेर जिला के अंचल, संग्रामपुर,बरियारपुर, असरगंज, मुंगेर सदर एवं तारापुर, खगड़िया जिला के अंचल चौथम, मानसी, बेलदौर, जमुई जिला के अंचल जमुई सदर, चकाई, गिद्धौर, बेगूसराय जिला के अंचल चेरियाबरियारपुर, बखरी, तेघड़ा, खुदाबंदपुर, नावकोठी एवं दंडारी, शेखपुरा जिला के अंचल घाट कुसुम्भा की स्थिति अत्यंत ही चिंताजनक है। इस पर सभी संबंधित जिला पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी को सख्त रूप से हिदायत देते हुए निदेश दिया गया कि आर0टी0पी0एस0 काउंटर का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें और अगर इसमें दोषी कर्मी संलिप्त पाये जाते हैं तो उसके विरुद्ध अविलंब सजा की कार्रवाई होगी। प्रधान सचिव ने कहा इसमें बहुत शिकायत आती है, इस पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि जाँच के लिए दल बनाये हुए हैं। प्रधान सचिव ने कहा आर0टी0पी0एस0 में आवेदन पहले अस्वीकृत हो जाता है, फिर स्वीकृत हो जाता है जो संदेह पैदा करता है। अंचल अधिकारी, बरियारपुर से अत्यधिक अस्वीकृति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि यह जमीन हरिणमार और झौवा बहियार में पड़ता है जिसका सर्वे नहीं हुआ है। बरियारपुर अंचल बनने से पहले यह ह0खड़गपुर में था, फिर जमालपुर अंचल में आया, उसके बाद बरियारपुर अंचल में आया। कुछ अभिलेख हमारे पास नहीं है। 1934 का खतियान है। नक्शा में प्लॉट नं0 है। **जिला अभिलेखागार से पता लगाने का निदेश दिया गया। इस संबंध में अपर समाहर्त्ता को जाँच का निदेश दिया गया।** प्रधान सचिव ने कहा कि जिस जमीन पर उसका कब्जा है। यदि उसके जमीन का दाखिल–खारिज नहीं हो रहा है और रसीद नहीं कट रहा है तो उसे देखने का निदेश दिया गया। लखीसराय जिला की उपलब्धि बेहतर पाये जाने के कारण प्रधान सचिव द्वारा धन्यवाद दिया गया।

इसके अलावे service given after time के बिन्दु पर जिलावार अंचलों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुंगेर जिला के संग्रामपुर,टेटियाबम्बर, खगड़िया जिला के खगड़िया, परबत्ता, चौथम, मानसी, जमुई जिला के जमुई सदर, बेगूसराय जिला के साम्हो– अकहा–कुरहा, मटिहानी, भगवानपुर, बेगूसराय, छौड़ाही, चेरियाबरियारपुर, बीरपुर अंचलों की प्रगति असंतोषजनक पायी गयी। संबंधित जिला पदाधिकारी को स्वयं देखने का निदेश दिया गया।लखीसराय एवं शेखपुरा जिला की उपलब्धि संतोषजनक पाये जाने के कारण प्रधान सचिव द्वारा धन्यवाद दिया गया।

आर0टी0पी0एस0 के दाखिल–खारिज में भ्रष्टाचार है। हमें इस बात की जानकारी दी गई कि दाखिल–खारिज में घोर भ्रष्टाचार है जो हमलोगों के लिए चुनौती का विषय है। जिस राजस्व कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध यदि इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसे कार्रवाई से कोई बचा नहीं सकता है।

Worst Performer(Timely Disposal) Revenue Dept RTPS MUTATION report From 01/04/2015

समीक्षा के क्रम में इस योजना के तहत प्रमंडल के 10 अंचलों को service given after time के बिन्दु पर बेगूसराय के साम्हो, मटिहानी,भगवानपुर, मुंगेर जिला के संग्रामपुर, बेगूसराय के बेगूसराय, छोड़ाही, चेरियाबरियारपुर, खगड़िया जिला के खगड़िया, परबत्ता एवं बेगूसराय के बीरपुर की असंतोषजनक प्रगति पर

प्रधान सचिव द्वारा खेद प्रकट किया गया तथा संबंधित जिला पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता को इसमें प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

Worst Performer(Denial) Revenue Dept RTPS MUTATION report From 01/04/2015 11/12/15

समीक्षा के क्रम में इस योजना के तहत प्रमंडल के 10 अंचलों को ServiceDenial के बिन्दु पर मुंगेर जिला के बरियारपुर, खगड़िया के मानसी, चौथम, बेल्दौर, जमुई के जमुई सदर, बेगूसराय के बखरी, चेरियाबरियारपुर, मुंगेर के मुंगेर सदर, बेगूसराय के खुदाबंदपुर एवं मुंगेर के तारापुर की असंतोषजनक प्रगति पर प्रधान सचिव द्वारा खेद प्रकट किया गया तथा संबंधित जिला पदाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता को इसमें प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

Best Performer(Denial) Revenue Dept. RTPS MUTATION report From 01/04/2015 11/12/15

समीक्षा के क्रम में इस योजना के तहत प्रमंडल के 10 अंचलों को मतअपबमक्मदपंस के बिन्दु पर लखीसराय के लखीसराय सदर, बेगूसराय के गढ़पुरा, शेखपुरा के अरियरी, लखीसराय के सूर्यगढ़ा, हल्सी, रामगढ़ चौक, शेखपुरा के शेखपुरा, शेखोपुर सराय, खगड़िया के अलौली एवं लखीसराय के चानन की प्रगति पर प्रधान सचिव द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई, और संबंधित पदाधिकारी को धन्यवाद दिया गया।

Best Performer(Timely Disposal) Revenue Dept RTPS MUTATION report From 01/04/2015 to 11/12/2015

समीक्षा के क्रम में इस योजना के तहत प्रमंडल के 10 अंचलों को ज्पउमसल क्पेचवेंस के बिन्दु पर बेगूसराय के गढ़पुरा, लखीसराय के हल्सी, शेखपुरा के अरियरी, लखीसराय के रामगढ़ चौक, चानन, पिपरिया, एवं लखीसराय, शेखपुरा के शेखोपुर सराय, खगड़िया के अलौली एवं जमुई के सिकंदरा की प्रगति पर प्रधान सचिव द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई, और संबंधित पदाधिकारी को धन्यवाद दिया गया।

6 (ख) राजस्व हल्कों में शिविर न्यायालय से संबंधित प्रतिवेदन :– शिविर न्यायालय से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बेगूसराय जिला में 380, जमुई में 81, खगड़िया में 357, लखीसराय में 86, मुंगेर में 150 एवं शेखपुरा में 76 मामले लंबित हैं। इस प्रतिवेदन पर असंतोष प्रकट किया गया तथा सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को इन लंबित मामलों को यथाशीघ्र निष्पादित कराने का निदेश दिया गया। इसी क्रम में अंचलवार शिविरों की समीक्षा की गई तो पाया गया कि बखरी अंचल में आज तक शिविर का आयोजन नहीं किया गया है। बलिया, बरौनी, बेगूसराय, भगवानपुर, गढ़पुरा, खुदावनपुर, मंसूरचक एवं मटिहानी अंचलों में अब तक मात्र दो बार ही शिविर का आयोजन किया गया जिस पर असंतोष प्रकट करते हुए निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी स्वयं इसे देखें। **सभी जिला पदाधिकारी को शिविर न्यायालय की मासिक समीक्षा करने का निदेश दिया गया।** बेगूसराय जिला में कुल प्राप्त मामले 2975 में से स्वीकृत 2595 है तथा लंबित 380 है। पूरे जिला में एक भी मामला अस्वीकृत नहीं है जो अविश्वसनीय तथा हास्यास्पद है। अंचलवार प्रतिवेदन देखने से पता चलता है कि बेगूसराय के सभी अंचल, जमुई के बरहट, गिद्धौर, सिकन्दरा, खगड़िया जिला के चौथम, मानसी, परबत्ता, लखीसराय के बड़हिया, चानन, हलसी, रामचगढ़ चौक, सूर्यगढ़ा, मुंगेर के

जमालपुर तथा तारापुर, शेखपुरा जिला के बरबीघा, चेवाड़ा, घंटा कुसुम्भा तथा शेखोपुर सराय अंचलों में अस्वीकृति की संख्या शून्य है जो संदेहास्पद है। प्रधान सचिव ने कहा कि आँकड़ों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि हर मंगलवार को सभी अंचल में दाखिल–खारिज शिविर का आयोजन नहीं हो रहा है।

7. बी0एल0डी0आर0 एक्ट :– बी0एल0डी0आर0 मामलों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बेगूसराय जिला के तेघड़ा में 63 एवं बखरी में 53 एवं लखीसराय जिला के लखीसराय अनुमंडल में 104 के, मुंगेर जिला तारापुर में 26, सदर मुंगेर में 24 एवं खड़गपुर में 22 मामलों में आदेश का अनुपालन लंबित है। अधिकांशतः अनुपालन अंचल अधिकारी से संबंधित होते हैं। इससे यह परिलक्षित होता है कि अंचल अधिकारी द्वारा आदेश अनुपालन में रुचि नहीं ली जा रही है। संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अनुपालन यथाशीघ्र सुनिश्चित करवायेंगे। **प्रधान सचिव द्वारा जिला पदाधिकारी, बेगूसराय एवं अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इसकी समीक्षा स्वयं करें तथा ससमय निष्पादन तथा निष्पादित वादों का अनुपालन सुनिश्चित करायें। प्रधान सचिव द्वारा सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि न्यायालय कार्य निर्धारित तिथि को जरूर करें।** जिला पदाधिकारी, शेखपुरा ने कहा कि पूर्व के भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गलत तरीके से आदेश किये थे। **इस पर प्रधान सचिव ने कहा कि आज की बैठक के आधार पर उनके निलंबन हेतु अनुशंसा दिया जाय एवं उसके विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करने का निदेश दिया गया।**

प्रधान सचिव ने यह जानना चाहा कि कितने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को ए0एन0सिन्हा संस्थान, पटना में प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। जिनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, उनको प्रशिक्षण दिलाने का निदेश दिया गया।

बी0एल0डी0आर0 के मामलों का निष्पादन ससमय नहीं हो रहा है। पारित आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। सभी पदाधिकारियों को BLDR के मामलें में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

8. विभिन्न न्यायालयों में भू–हदबंदी के लंबित मामले :– विभिन्न न्यायालयों में भू–हदबंदी के लंबित मामलों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बेगूसराय जिला के अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में 09, लखीसराय में 19, मुंगेर में 02 मामले लंबित पाये गये। इसी प्रकार खगड़िया के अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में 04, मुंगेर में 03 मामले लंबित हैं एवं प्रमंडलीय आयुक्त के न्यायालय में जमुई जिला से संबंधित एक मामले लंबित हैं। प्रमंडलीय आयुक्त ने जिला पदाधिकारी, जमुई को निदेश दिया कि वे मेरे न्यायालय तिथि के पूर्व आकर सम्पर्क कर उक्त लंबित मामलों का निष्पादन हेतु पहल करेंगे। अपर समाहर्त्ताओं को एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि लंबित मामलों का निष्पादन यथाशीघ्र नियमानुसार करना सुनिश्चित करेंगे।

(क) **भू–हदबंदी से प्राप्त अधिशेष भूमि के वितरण** :– अधिशेष भूमि के वितरण के संबंध में जिलावार समीक्षा की गई तो पाया कि अवितरित शेष भूमि का रकवा अत्यधिक है, इसका वितरण क्यों नहीं हो रहा है, के संबंध में कोई उल्लेख प्रतिवेदन में नहीं किया गया है। बेगूसराय जिला में 2325.11, जमुई में 1538.39, खगड़िया में 179.345, लखीसराय में 57.57, मुंगेर में 5951.14 एवं शेखपुरा में 1.99 एकड़ भूमि का वितरण लंबित है। अयोग्य भूमि के संबंध में जिला पदाधिकारी, बेगूसराय ने कहा कि इसके बारे में कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल पा रहा है। इस पर प्रधान सचिव ने बताया कि जमीन की जाँच करा लें कि वहाँ गड्ढा है या पहाड़ है या कुछ और है। **सभी जिला पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अवितरित अधिशेष भूमि का वितरण सुयोग्य श्रेणी के परिवारों के बीच कैम्प लगाकर वितरण सुनिश्चित करें और इसका प्रचार–प्रसार संबंधित पंचायत में निश्चित रूप से करा दें।** अंचल अधिकारी, बड़हिया ने बताया कि इस अंचल में लगभग 152 एकड़ भूमि गंगा में चली गयी है। निदेशक, भू–अर्जन ने अपर समाहर्त्ता, लखीसराय से पूछा कि क्या इसकी अधिसूचना आपके पास है? **प्रधान सचिव द्वारा इसकी जाँच का निदेश अपर समाहर्त्ता, लखीसराय को दिया गया। जिला पदाधिकारी, मुंगेर को शेष भूमि वितरण करने का निदेश दिया गया।** इस पर अपर समाहर्त्ता, मुंगेर द्वारा बतलाया गया कि जितना भूमि अवशेष प्रतिवेदित है, वास्तव में नहीं है क्योंकि मुंगेर से कई जिला बना है तथा कई जिलों का अभिलेख मुंगर में है। इसकी समीक्षा की जा रही है। **प्रधान सचिव द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने–अपने जिले से कर्मियों को भेजकर अभिलेख मुंगेर से मँगा लें।** भू–हदबंदी के बहुत–से मामले लंबित हैं, जिसे अंजाम तक ले जाने की आवश्यकता होगी।

9. C.W.J.C/M.J.C/L.P.A. मामलों की समीक्षा :– C.W.J.C मामलों की समीक्षा जिलावार की गई तो पाया गया कि बेगूसराय में 12, खगड़िया जिला में 08, लखीसराय जिला में 02, मुंगेर में 07 एवं शेखपुरा में 01 मामले लंबित है जिसमें कि अब तक शपथ–पत्र दायर नहीं किया गया है। डण्श्रण्ब के मामले में खगड़िया एवं मुंगेर जिला से एक–एक मामले लंबित हैं और एल0पी0ए0 में मात्र खगड़िया जिला से एक मामले लंबित हैं। संबंधित जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब माननीय उच्च न्यायालय में संबंधित सरकारी अधिवक्ता से सम्पर्क कर शपथ–पत्र दायर करना सुनिश्चित करेंगे ताकि मामले का निष्पादन शीघ्रातिशीघ्र हो सके।

10. AC/DC विपत्रों का समायोजन :– AC/DC विपत्रों के समायोजन के लंबित मामलों की समीक्षा की गई तो पाया गया कि AC/DC विपत्र के समायोजन का मामला प्रत्येक जिला में लंबित है। **प्रधान सचिव ने निदेश दिया कि जिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा AC/DC विपत्र का समायोजन नहीं किया जा रहा है, वैसे निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का वेतन तात्कालिक प्रभाव से रोक देने का आदेश सरकार द्वारा पूर्व में ही दिया जा चुका है। अतः वैसे पदाधिकारी का वेतन रोककर अनुपालन सुनिश्चित करायें।**

11. लोक लेखा समिति के लंबित आपत्ति कंडिकाओं की समीक्षा :– लोक लेखा समिति के लंबित आपत्ति कंडिकाओं की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुंगेर जिला के खास महाल से संबंधित एक आपत्ति कंडिकाओं का अनुपालन अब तक लंबित है : अपर समाहर्त्ता, मुंगेर ने बताया कि इन आपत्ति कंडिकाओं का निष्पादन प्रतिवेदन पूर्व में ही भेजा जा चुका है जिस पर निदेशक, भू–अर्जन द्वारा बताया गया कि उन प्रतिवेदनों को स्वीकार नहीं किया गया है। अतः पुनः यथोचित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। बेगूसराय जिला से एक मामला, जमुई से 01, लखीसराय से 01, शेखपुरा से 01 एवं खगडिया से 0 मामले प्रतिवेदित हैं। लंबित मामलों के निष्पादन के संबंध में संबंधित जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला स्तर की राजस्व की बैठक में इन विषयों की विशेष रूप से समीक्षा कर निष्पादन सुनिश्चित करायेंगे।

12. डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन निर्माण की भौतिक उपलब्धि :– डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन निर्माण की भौतिक उपलब्धि के संबंध में निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुंगर जिले के धरहरा, मुंगेर सदर, संग्रामपुर, तारापुर, हवेली खड़गपुर, में आधुनिक अभिलेखागार भवन का कार्य पूर्ण हो चुका है। मुंगेर जिला के बरियारपुर, जमालपुर, असरगंज एवं टेटिया बम्बर में भूमि समस्या है। अंचल अधिकारी बरियारपुर ने बताया कि वर्तमान में अंचल कार्यालय अस्पताल में चलता है एक सूचना केन्द्र है जिसमें 06 डिसिमिल जमीन है जिसका प्रतिवेदन भेज देंगे। अंचल अधिकारी, जमालपुर ने बताया कि अंचल कार्यालय किराये के भवन में चल रहा है। अपर समाहर्त्ता, मुंगेर ने बताया कि असरगंज, बरियारपुर, जमालपुर एवं टेटिया बम्बर के अंचल कार्यालय का अपना भवन नहीं है। शेखपुरा जिला के घाटकुसुम्भा, बेगूसराय के वीरपुर, खगड़िया के मानसी अंचलों में स्थल की समस्या प्रतिवेदित की गई है। संबंधित जिला पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी ने आष्वस्त किया कि जमीन की समस्या का समाधान यथाशीघ्र कर ली जाएगी। **संबंधित जिला के जिला पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अगर प्रखंड स्तर पर आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण अवरुद्ध रहेगा तो राजस्व संबंधी कागजातों के रख–रखाव में कठिनाई एवं नष्ट होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि राजस्व से संबंधित अधिकांश कागजात प्रखंड/अंचल मुख्यालय में ही रहते हैं। इसलिए जिला पदाधिकारी इन विषयों को गंभीरता से लें और आधुनिक अभिलेखागार भवन का निर्माण युद्ध स्तर पर कराना सुनिश्चित करें।** निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा विभागीय पत्र सं0–138, दिनांक–27.01.15 के बारे कहा गया कि इस पत्र का कोई जवाब नहीं आया है। अपर समाहर्त्ता, लखीसराय, खगड़िया एवं मुंगेर ने कहा कि जवाब भेज दिये हैं। पत्र सं0–1992 का भी जवाब भेजने का निदेश दिया गया। अपर समाहर्त्ता, शेखपुरा ने बताया ने 06 अंचलों में 05 अंचल में आधुनिक अभिलेखागार बन चुका है। केवल 01 अंचल घाट कुसुम्भा में नहीं बना है। अंचल अधिकारी, घाट कुसुम्भा ने बताया कि प्रखंड कार्यालय के लिए जमीन उपलब्ध करा दिया गया है। अंचल अधिकारी, वीरपुर(बेगूसराय) के द्वारा बताया गया कि अंचल कार्यालय सामुदायिक भवन में चल रहा है। **अंचल भवन निर्माण**

के संबंध में अपर समाहर्त्ता, बेगूसराय को कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेगूसराय से बात करने का निदेश दिया गया। अंचल अधिकारी, गढ़पुरा (बेगूसराय) ने बताया कि अंचल कार्यालय सामुदायिक भवन में चल रहा है। अंचल कार्यालय भवन की जमीन के लिए प्रस्ताव अपर समाहर्त्ता, बेगूसराय को भेजा गया है।

13. भू–अभिलेख कम्प्यूटरीकरण :– भू–अभिलेख के कम्प्यूटरीकण के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुंगेर जिला में जिस एजेंसी द्वारा राजस्व अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा था, वह बीच में ही छोड़कर भाग गया। सभी जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि भू–अभिलेख के कम्प्यूटरीकरण हेतु डाटा इंट्री के लिए निविदा निकालकर स्वच्छ एवं कम कीमत पर उपलब्ध होने वाले एजेंसी का चयन सुनिश्चित करेंगे और इसी क्रम में बगल के जिला जो इस कार्य को पूर्व में सम्पादित करा चुके हों, उनसे भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इसी क्रम में प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया कि विशेष सर्वेक्षण के कार्यों में तेजी लाने हेतु अनुभवी अमीन को उजरत पर नियुक्ति कर कार्य करवाने की दिशा में विभाग से पहल की जा रही है और निकट भविष्य में सेवानिवृत्त एवं अनुभवी अमीन का साक्षात्कार लेकर बहाली की जाएगी। निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप ने कहा कि जिला गजेटीयर विभाग के वेबसाईट पर दे दिया गया है जिसे जरूरत हो वे देख सकते हैं। सभी जिलों के गांव का नक्शा तैयार हो चुका है जिन जिलों को जरूरत हो वे गुलजारबाग से प्राप्त कर सकते हैं।

समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव द्वारा बतलाया गया कि नष्ट हो रहे राजस्व अभिलेख बचाने के लिए खतियान एवं पंजी–II का स्कैनिंग कराने का निदेश दिया गया। जहाँ–जहाँ निविदा हो गया है, वहाँ से दर प्राप्त कर प्रमंडलीय आयुक्त न्यूनतम दर निर्धारित कर दें ताकि प्रमंडल में एकरूपता रहे। साथ ही इस पर होने वाले व्यय का आकलन कर आवंटन की माँग करने का निदेश सभी जिलाधिकारियों को दिया गया।

14. अन्यान्य :– बैठक में उपस्थित खगड़िया के पूर्व विधायक श्री सत्यनारायण बाबू ने बताया कि खगड़िया के अलौली प्रखंड के गौराचक, बहादुरपुर, उकरौरा गांव में पर्चाधारियों को भूमि पर दखल नहीं मिल पाया है। इस पर प्रधान सचिव ने जिलाधिकारी व अनुमंडलाधिकारी को त्वरित कार्रवाई का निदेश दिया और जिला स्तर पर टीम गठित कर जाँच करवाने का भी निदेश दिया। **(i)** इसी प्रकार अलौली प्रखंड के छिलकोरी पंचायत के मछरा गांव में तालाब की जमीन क्रय कर महादलित परिवारों को दे दिया गया है। इस पर अंचल अधिकारी ने बताया कि इस जमीन पर तालाब नहीं मात्र थोड़ा–सा गड्ढा है तथा उन परिवारों की सहमति ले ली गई थी। प्रधान सचिव ने जिला पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया कि इसकी जाँच संबंधित अनुमंडल पदा0 से करा लें। **प्रधान सचिव द्वारा क्रय नीति वाले जमीन की जाँच संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता से कराने का निदेश दिया गया। उन्होंने सभी जिला पदाधिकारी को यह निदेश दिया कि क्रय नीति के तहत जो जमीन लिया जा रहा है, वह विवादित जमीन तो नहीं है, इसकी जाँच अवश्य करा लें।** श्री

सत्यनारायण बाबू ने कहा कि अमौरी में पौने दो सौ एकड़ गैर मजरूआ जमीन को 05 बाहुबली द्वारा कब्जा कर लिया गया है। वहाँ पर 16 हत्यायें भी हो चुकी हैं। इस पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने कहा कि अपर समाहर्त्ता के साथ कैम्प किये थे। **प्रधान सचिव ने संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेश दिया कि पुलिस बल का प्रयोग करके कब्जा दिलाना सुनिश्चित करें।** श्री सत्यनारायण बाबू ने यह भी बताया कि अलौली अंचल में ही तीन–चार हजार लोगों का पर्चा बना हुआ है परन्तु उन्हें बाँटा नहीं गया है। कृपया इसे बंटवाकर वैसे व्यक्तियों को केवाला एवं रसीद उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाय। प्रधान सचिव ने जिला पदाधिकारी, खगड़िया को इस संबंध में जाँच कराने का निदेश दिया। अलौली अंचल में पशुपति नाथ पारस ने 1995 में केवाला से क्रय किया था। 2008–09 में वासगीत पर्चा निर्गत हुआ। 57 लोगों को पर्चा दिया गया। जितने पर्चाधारी थे, उनमें 19 लोग ऐसे हैं जो उसी जमीन का केवाला ले लिये हैं। 27 वासगीत पर्चाधारी एवं दखलकार थे। 8 पर्चाधारी बेदखल होकर बाहर चले गये। उसी जमीन में पारस जी ने छह माह पहले चहारदीवारी कराये हैं। उस जमीन में पी0सी0सी0 सड़क एवं सोलिंग सड़क भी है। उसी जमीन की नापी कराना चाहते हैं। 144 के आधार से इसे रोकने का अनुरोध किया।

बेगूसराय जिला के बखरी अंचल में खसरा नं–530 की जमीन जो लगभग 300 एकड़ गैर मजरुआ आम जमीन है असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया है। जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला स्तर पर टीम गठित कर इसकी जाँच करवायें।

उनके द्वारा बताया गया कि मुंगेर जिला के धरहरा अंचल में 400 पर्चाधारियों का मामला लंबित है। सदर अंचल के पीर पहाड़ 100 लोगों को पर्चा दिया जा चुका है। मुंगेर जिला के ही धरहरा अंचल में भूदान के द्वारा वितरित बहुत सारे जमीन का दाखिल–खारिज अंचल अधिकारी, धरहरा द्वारा नहीं किया जा रहा है। प्रधान सचिव ने कहा कि धरहरा अंचल में भूदान से संबंधित जमीन का मामला दाखिल–खारिज हेतु लंबित है। अंचल अधिकारी, धरहरा ने बताया कि उक्त जमीन कामेष्वर सिंह दरभंगा द्वारा दान में दी गई थी जो किस्म जंगल है जिसका राजस्व अभिलेख में जमाबंदी नहीं चल रही थी। अंचल अधिकारी, धरहरा से जमीन की प्रकृति के बारे में पूछे जाने पर बताने में असमर्थता व्यक्त की। यदि यह जमीन दरभंगा महाराज द्वारा दान में दिया गया है तो भूदान सचिव के पंजी में सम्पुष्टि हुई होगी। इसका क्रॉस चेकिंग भूमि सुधार कार्यालय से कराने का निदेश दिया गया। यदि रैयती जमीन है तो उसको देखने का निदेश दिया गया। **अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को इसे देखने का निदेश दिया गया। प्रधान सचिव द्वारा जिला पदाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को इन बिन्दुओं पर जाँच करवाने का निदेश दिया गया।**

बैठक में उपस्थित जिला पदाधिकारियों द्वारा अमीन की कमी के बारे में पृच्छाएँ की। इस पर प्रधान सचिव ने निदेश दिया कि जिला पदाधिकारी अनुभवी अमीनों को संविदा पर रख सकते हैं। उनसे अनुभव प्रमाण–पत्र ले लें और साक्षात्कार लेकर यह देख लें कि वास्तव में उनके पास कार्य का अनुभव है या नहीं? यदि है तो उजरत भोगी के रूप में उनसे कार्य लें एवं नापी का कार्य सम्पादित करें।

चालक की कमी के बारे में जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया। चालक पद स्वीकृत है। **इस पर प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि चालक के पद का रोस्टर क्लियर कराकर आयुक्त के माध्यम से बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाए। तत्काल संविदा पर रखने का निदेश दिया गया और उसका मानदेय**

भुगतान व्यवसायिक मद से करने का निदेश दिया गया। अपर समाहर्त्ता, शेखपुरा एवं लखीसराय ने बताया कि जिला राजस्व शाखा में एक भी पद स्वीकृत नहीं है। प्रधान सचिव द्वारा प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया कि ताकि पद स्वीकृत किया जा सके।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 7/बैठक(अभि०)21(8)/14 214(7)/रा० पटना–15, दिनांक– 25-2-16

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, भूदान यज्ञ कमिटि, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

Fax/E-mail प्रतिलिपि :– सम्बन्धि सभी समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अपर समाहर्त्ता, मुंगेर प्रमंडल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मुंगेर प्रमंडल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अंचल अधिकारी मुंगेर प्रमंडल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
संयुक्त सचिव।